बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 201

प्रदूषण की चुनौती

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने कानपुर में चमड़ा कारखानों को बंद करने का आदेश दिया है। अगस्त में यूपीपीसीबी ने 126 चमड़ा कारखानों को 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की मंजूरी दी थी बशर्ते कि वे प्रदूषण मानकों का पालन करें। परंतु राष्ट्रीय हरित पंचाट की गंगा निगरानी शाखा ने कहा है कि कानपुर के जाजमऊ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित चमड़ा कारखानों से निकले प्रदूषक तत्त्व गंगा में मिल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप इन कारखानों को इस माह के अंत तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। कानपुर का चमड़ा उद्योग करीब 12,000 करोड़ रुपये का है। इसमें से करीब 50 फीसदी मूल्य का माल निर्यात किया जाता है। यह उद्योग करीब 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रदूषित जल के उपचार संयंत्रों का संचालन सरकारी संस्था जल निगम करता है, न कि चमड़ा कारखाने। जल निगम ने अपनी प्रतिबद्धता नहीं निभाई और उसने सुधार के लिए और अधिक वक्त मांगा है लेकिन इसका खमियाजा कारखानों को भुगतना पड़ रहा है।

व्यापक स्तर पर देखें तो यह घटना देश के समक्ष मौजूद तमाम आर्थिक और संचालन संबंधी चुनौतियों को उजागर करती है। ये चुनौतियां बढ़ते शहरीकरण और तेज विकास के प्रयास से उपजी हैं। बहरहाल, बाह्य कारकों का मुद्दा नया नहीं है और कानपुर के चमड़ा कारखानों के मामले में गंगा के प्रदूषण के व्यापक निहितार्थ हैं। अर्थशास्त्री ऐसी समस्याओं पर पिछले एक दशक से विमर्श कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसा मुद्दा अल्फ्रेड मार्शल ने उठाया था और आर्थर पिगू ने उसे आगे बढ़ाया। पिगू ने अपनी पुस्तक द इकनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में (जो सन 1920 में प्रकाशित हुई थी) कहा, 'स्वहित राष्ट्रीय लाभांश में इजाफा करने वाला नहीं है, इसके परिणामस्वरूप सामान्य आर्थिक प्रक्रिया के साथ हस्तक्षेप के कुछ खास कदमों की अपेक्षा होनी चाहिए जो लाभांश को नुकसान नहीं पहुंचाएं बल्कि उसमें इजाफा करें।' पिगू ने हस्तक्षेप के तमाम तरीकों पर चर्चा की जिन्हें पिगूवियन कर के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन कर ऐसे हस्तक्षेप का अच्छा उदाहरण है। बहरहाल, बाद के वर्षों में पिगूवियन कर की आलोचना होने लगी। मिसाल के तौर पर कहा गया कि यह सामाजिक लागत का आकलन करने में सक्षम नहीं है।

देश को औद्योगिक विकास और तेजी से हो रहे शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव से निपटना होगा। प्रदूषण से निपटने तथा पर्यावरण को हो रही हानि से निपटने के क्रम में हमेशा कर लगाना कारगर नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद सीवेज के पानी का बड़ा हिस्सा अभी भी गंगा में मिल रहा है। कानपुर के चमड़ा कारखानों के साथ यह मुद्दा भी दर्शाता है कि भारत को ऐसे मसलों से निपटने के लिए क्षमता विस्तार करना जरूरी है। चमड़ा कारखाने इसलिए बंद हुए क्योंकि सरकारी एजेंसी अपना काम ठीक से नहीं कर सकी। प्रदूषण से निपटने के लिए न केवल स्थानीय शासन की संस्थाओं को मजबूत करना होगा बल्कि विभिन्न एजेंसियों में तालमेल कायम करना होगा। भारत जैसे देश में हर जगह एक हल कारगर नहीं होगा इसलिए स्थानीय संस्थाओं को जोड़ना जरूरी है। सरकार को जरूरी निवेश करना चाहिए और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण मानकों के पालन की निगरानी करनी चाहिए। कचरा प्रबंधन में निजी निवेश कारगर कदम हो सकता है। इससे लागत कम करने और नवाचार करने में मदद मिलेगी।

प्रदूषण नियंत्रण की चुनौती आगे बढ़ेगी और सरकार को स्थायी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर काम करना होगा। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों को बंद करना कोई विकल्प नहीं बनना चाहिए।

अजय मोहंती

तनावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्ति की समस्या का हल

विफल होने वाले बैंकों, बीमा कंपनियों और महत्त्वपूर्ण वित्तीय फर्म के लिए निस्तारण की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं **अजय शाह**

तनावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निस्तारण मौजूदा आर्थिक नीति के समक्ष एक प्रमुख गतिरोध है। यदि किसी वित्तीय कंपनी ने आम परिवारों से कोई गहरा वादा नहीं किया हो तो ऐसी कंपनियों का निस्तारण किसी भी तरह गैर वित्तीय कंपनियों के निस्तारण से अलग नहीं है। एनबीएफसी जैसी वित्तीय कंपनियों के निस्तारण के लिए तो ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) ही सही तरीका है। एक विशिष्ट सांविधिक वित्तीय निस्तारण निगम सीमित समस्याओं को हल कर सकता है जबकि सिर्फ आईबीसी का प्रदर्शन कमजोर रहेगा।

वर्ष 2011 के बाद से देश की एक प्रमुख समस्या रही है तनावग्रस्त परिसंपत्तियां। जब कोई कंपनी अपने आप को सीमित कर लेती है तो सामान्य कारोबारी गतिविधियां रुक जाती हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर होता है। जब ऐसी आशंका बलवती होती है कि कर्जदार पैसे गंवा बैठेंगे तो ऋण बाजार में भी ठहराव आ जाता है। बाजार आधारित हर अर्थव्यवस्था में किफायती निस्तारण आवश्यक है। भारत ने यह शुरुआत सन 2016 में आईबीसी के गठन के साथ की थी। उस वक्त आईबीसी में गैर वित्तीय कंपनियां शामिल थीं।

आईएलऐंडएफएस या दीवान हाउसिंग जैसी तनावग्रस्त एनबीएफसी पर विचार करते हैं। इन कंपनियों ने पेशेवर संस्थानों से ऋण लिया था। उन पर आम परिवारों की कोई उधारी नहीं थी। इनमें से कोई संस्थान व्यवस्थागत दृष्टि से अहम नहीं है। एक मोटे नियम के तौर पर व्यवस्थागत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण किसी भी संस्थान की बैलेंस शीट जीडीपी के कम से कम 2 फीसदी के बराबर होनी चाहिए। आज के भारत में इसके लिए बैलेंस शीट का आकार करीब 4 लाख रुपये होना चाहिए। एचडीएफसी व्यवस्थागत रूप से अहम है लेकिन आईएलऐंडएफएस अथवा दीवान हाउसिंग के साथ ऐसा नहीं है।

इन परिस्थितियों में विशुद्ध आईबीसी को अपनाना कारगर होगा। जब कोई एनबीएफसी पहली बार डिफॉल्ट करेगी तो उसका कोई एक ऋणदाता एनसीएलटी के पास जा सकता है और कंपनी का नियंत्रण ऋणदाताओं की समिति के पास आ जाएगा। ऋणदाताओं की समिति का गठन एनबीएफसी को कर्ज देने वाले बैंकों, म्युचुअल फंड और अन्य पेशेवर ऋणदाताओं में से किया जाएगा।

ऋणदाताओं की समिति ही यह विचार करेगी कि उसके हित में क्या है: पूरी फर्म को बेचना, पहले कुछ हिस्से बेचकर नकदी जुटाना, कर्ज का पुनर्गठन करना या नकदीकरण करना। ऋणदाताओं की समिति के पास यह अधिकार है कि वह समस्या को हल करे। दिवालिया प्रक्रिया से होने वाला नुकसान इन पेशेवरों पर आयद होगा। डिफॉल्ट के एक वर्ष के भीतर हम समस्या को पीछे छोड़ सकते हैं।

फिलहाल निस्तारण ढांचे की अनुपस्थिति में ऋणदाता अनिश्चितता के शिकार रहते हैं। प्रवर्तक वह प्राथमिकता तय करता है जिसके आधार पर ऋणदाताओं को भुगतान किया जाता है। इसके विपरीत आईबीसी ऐसे अनुमानित नियम प्रस्तुत करती है जिनके माध्यम से निस्तारण को अंजाम दिया जाएगा। बिना आईबीसी के प्रत्येक ऋणदाता अपना पैसा निकालना चाहेगा और एनबीएफसी के निस्तारण के बारे में नहीं सोचेगा। अगर किसी ऋणदाता का अपना पैसा निकल रहा है तो वह एनबीएफसी के गलत कदमों को भी सही ठहराएगा।

आईबीसी के अधीन तमाम ऋणदाता अपनी साझा समस्या को लेकर एक निस्तारण के लिए बातचीत करेंगे। ऐसे में तमाम ऋणदाताओं की ऊर्जा बेहतर से बेहतर निस्तारण योजना की तलाश में लगेगी।

यह खुशनुमा तस्वीर उस समय भंग हो जाती है जब आम परिवार भी परिदृश्य में होते हैं। खासकर बैंकों के मामले में। बैंक जमाकर्ता एनबीएफसी ऋणदाताओं की तुलना में विशिष्ट स्थिति में होते हैं जहां वे अपना पैसा कभी भी वापस निकाल सकते हैं। बैंकों के लिए आईबीसी का इस्तेमाल दो स्तरों पर गड़बड़ होता है। पहला, इससे जमाकर्ता की दिक्कत बढ़ती है और वह संकट का पहला संकेत मिलते ही अपना पैसा बाहर निकालने के बारे में सोचता है। दूसरा, ऋणदाता समिति में बड़ी तादाद में लोगों को देखते हुए बातचीत का आयोजन मुश्किल होता है।

इसके लिए एक विशिष्ट निस्तारण निगम की आवश्यकता होगी जो तनावग्रस्त वित्तीय फर्म पर पूरा नियंत्रण करे। ऐसे निस्तारण निगम की तीन विशिष्ट विशेषताएं हैं। पहली बात, यह सक्रियता से काम करेगी और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के नकारात्मक होने के पहले ही कदम उठाएगी। दूसरा, यह आईबीसी प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कदम उठाएगी क्योंकि ऋणदाताओं के बीच लंबी बातचीत की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा, यह आम परिवारों को जमा बीमा मुहैया कराएगा या उन्हें किसी नए बीमा प्रदाता की सेवा देगा।

ऐसा सांविधिक वित्तीय निस्तारण निगम एफएसएलआरसी के डिजाइन का हिस्सा थी जो आईबीसी के पहले आई थी। अब जबकि आईबीसी आ चुकी है तो हमें निस्तारण निगम की सीमित भूमिका पर गौर करना होगा। बैंकों, बीमा कंपनियों और व्यवस्थागत दृष्टि से अहम कंपनियों मसलन एचडीएफसी आदि की नाकामी के लिए निस्तारण निगम पर ध्यान देना होगा। यह आईएलऐंडएफएस जैसी सामान्य एनबीएफसी पर लागू नहीं होता जहां केवल आईबीसी पर्याप्त हो।

निस्तारण निगमों की स्थापना का प्रयास एफआरडीआई बिल के माध्यम से किया गया जिसे समाप्त कर दिया गया। यह एक अहम नीतिगत प्राथमिकता बना हुआ है और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन हमें इस राह की सीमाओं को भी समझना होगा। निस्तारण निगम एक नई सरकारी अफसरशाही की तरह होगा। देश की अधिकांश सरकारी एजेंसियां खराब तरीके से काम करती हैं। इसके अलावा सरकारी प्रशासन की व्यापक विफलता भी इसे प्रभावित करेगी।

निस्तारण निगम के पास एक उल्लेखनीय अधिकार है: वह बैंक के डिफॉल्ट होने के पहले निस्तारण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए हमें व्यापक पैमाने पर जांचपरख और संतुलन कायम करना होगा। निस्तारण निगम के अधिकारियों के लिए वित्तीय फर्म में उस वक्त हस्तक्षेप करना आसान नहीं होगा क्योंकि इस वक्त उपयुक्त हल तलाशना मुश्किल होगा। बेहतर परियोजना प्रबंधन के अधीन इसे अपनी जमीन तैयार करने में कम से कम तीन वर्ष लगेंगे।

लब्बोलुआब यह कि एचडीएफसी जैसी महत्त्वपूर्ण वित्तीय फर्म अथवा बैंकों या बीमा कंपनियों के निस्तारण के रूप में दो तरह की दिक्कतों के निवारण के क्रम में निस्तारण निगम से दूरी नहीं बनाई जा सकती। यह प्रक्रिया एक वर्ष की नहीं है। इसमें समय लगेगा और इसे यथाशीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। परंतु तमाम अन्य वित्तीय फर्म के लिए उन कर्जदारों का हित निस्तारण निगम की अफसरशाही की तुलना में बेहतर काम करेगा जो ऋणदाताओं की समिति से बातचीत करेंगे। हमें आईबीसी का बेहतर कामकाज सुनिश्चित करने के लिए और प्रयास करने होंगे। इस क्रम में कई श्रेणियों के वित्तीय निस्तारण को इसके जरिये अंजाम देना होगा।

कर्मियों की नकारात्मकता दूर करती हैं अच्छी कंपनियां

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

जो कंपनियां अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती हैं वे उन्हें सिखाती हैं कि वे खुद को कमतर न महसूस करें। दिमाग में कोई नकारात्मकता इसे पराजित नहीं कर सकती

आपने अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ अपने कार्य प्रदर्शन की समीक्षा संबंधी बातचीत खत्म की। आपका मूल्यांकन काफी अच्छा रहा और उसमें आपकी मजबूती और उपलब्धियों का जिक्र था। परंतु कुछ टिप्पणियां ऐसी हैं जहां आपके प्रदर्शन में सुधार की गुंजाइश बताई जाती है। आपका पूरा ध्यान इन्हीं टिप्पणियों में लग जाता है। अपने प्रदर्शन की समीक्षा में कही गई सकारात्मक बातों को लेकर प्रसन्न होने के बजाय आप चंद आलोचनात्मक टिप्पणियों को लेकर खिन्न और नाराज हो जाते हैं।

या फिर अगर आप तमाम सहकर्मियों द्वारा मिली तारीफों के बारे में सोचें तो शायद उस पल के लिए आप एकदम मुग्ध हो जाएं लेकिन बाद में आप उसे भूल जाते हैं। अब जरा इसकी तुलना एक नकारात्मक टिप्पणी से कीजिए, वह शायद आपको अधिक गहराई से प्रभावित करेगी और नकारात्मक भावना कई दिनों तक आपके भीतर बनी रहेगी।

नकारे जाने पर महसूस होने वाला अपमान, सराहना से होने वाली खुशी पर भारी क्यों पड़ जाता है, इस बारे में 2002 के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डेनियल कानमैन का एक अध्ययन है। इस अध्ययन में प्रतिभागियों को 50 डॉलर की रकम गंवाने या इतनी ही रकम पाने की कल्पना करने को कहा गया। हालांकि राशि समान है लेकिन पैसा गंवाने की कल्पना करने वालों में भावनात्मक प्रतिक्रिया कहीं तगड़ी रही। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ गंवा देने की नकारात्मकता कुछ हासिल करने की अच्छाई से कहीं ज्यादा होती है। शोध पत्रों ने दिखाया है कि नकारात्मकता हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है और सकारात्मकता की तुलना में हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित करती है।

यह सब हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से की वजह से होता है जिसका नाम प्रमस्तिष्क खंड है। तंत्रिका मनोविज्ञानी रिक हैंसन ने यह बताया है कि प्रमस्तिष्कखंड नकारात्मकता का पता लगाने में अपने दो-तिहाई न्यूरॉन का इस्तेमाल करता है और उसे दीर्घावधि की स्मृति में दर्ज कर देता है। यानी हमारी भावनाओं का दो तिहाई हिस्सा इस तैयार हुआ है जो प्रमुख तौर पर नकारात्मकता पर ध्यान देता है। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा लोगों की डायरियों पर किया गया अध्ययन बताता है कि किसी झटके का नकारात्मक असर, किसी सकारात्मक घटना के असर की तुलना में दोगुना प्रभावी होता है।

बड़ी कंपनियां यह बात जानती हैं। यही कारण है कि वे अपने कार्यस्थल को खुशनुमा बनाने में बहुत अधिक समय और पैसे का निवेश करती हैं। कर्मचारी अपने कार्यस्थल से जुड़ाव महसूस करते हैं और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। कई लोग कहते हैं कि सकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क के नकारात्मक पूर्वग्रह से लड़ने में मदद करता है। यानी अगर आपके पास पहले से जो कुछ है उसे लेकर आपके मन में सराहना का भाव है तो आप जीवन में आगे खुश रह सकते हैं। यह बात कहने में तो आसान है लेकिन प्रबंधक कहते हैं कि इसका क्रियान्वयन करना कतई आसान नहीं है। उदाहरण के लिए विशेषज्ञ कहते हैं कि हमें पांच मिनट तक अपनी श्वास पर ध्यान देना चाहिए लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा मस्तिष्क तमाम चीजों की ओर भटकेगा।

यानी सकारात्मक विचार को लेकर भाषण देने के बजाय बड़ी कंपनियां सकारात्मकता को व्यवहार में लाती हैं। यह एक तरह की मनोवैज्ञानिक कवायद है जो हमें बताती है कि कुछ करके प्रसन्नता कैसे अर्जित की जाए। उदाहरण के लिए वे 50 दंड-बैठक या आधे घंटे की जॉगिंग का मनोवैज्ञानिक समतुल्य। इन कंपनियों के मानव संसाधन प्रबंधक भी जानते हैं कि यदाकदा के सकारात्मक अनुभव हमारे मस्तिष्क पर इतना प्रभाव नहीं डालते कि हम नकारात्मकता से जूझ सकें। खुश रहने के लिए छिटपुट सकारात्मक अनुभव लगातार मिलते रहने चाहिए।

यही कारण है कि बड़ी कंपनियां छोटी-छोटी जीत का भी जश्न मनाती हैं। उन्हें पता होता है कि छोटी से छोटी उपलब्धि को मान्यता देने से कर्मचारियों के दिलोदिमाग में खुशी बढ़ती जाती है। भविष्य में जब कभी वे निराश होते हैं तो यही छोटी-छोटी खुशियां उनके काम आती हैं। नेतृत्वकर्ताओं को जानना चाहिए कि केवल कर्मचारियों की कमियों या कमजोरियों की ओर संकेत करना नुकसानदेह हो सकता है। हर बार जब वे अपने आसपास मौजूद लोगों की मजबूती की सराहना करते हैं तो न केवल उनका उत्साह बढ़ाते हैं बल्कि इससे उनका भी उत्साहवर्धन होता है। वे अपनी टीम के साथ बातचीत में अक्सर ऐसे सवाल करते हैं जो उन्हें सशक्त बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यह पूछा जाना कि हम इस विचार पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमेशा यह पूछने से बेहतर होता है कि अमुक विचार को लागू करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? नकारात्मक विचार से निपटने का सबसे बेहतर तरीका है निरंतर संवाद करते रहना। किसी तरह की सराहना करने वाला संदेश या ईमेल भेजते रहना बेहतर है लेकिन फोन करने या कर्मचारियों के पास जाकर उनसे सीधे बात करने का कोई विकल्प नहीं है। एलनॉर रूजवेल्ट की मशहूर उक्ति है कि आपकी सहमति के बिना कोई आपको कमतर महसूस नहीं करा सकता। जो कंपनियां अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती हैं वे उन्हें सिखाती हैं कि वे खुद को कमतर न महसूस करें। दिमाग में कोई नकारात्मकता इसे पराजित नहीं कर सकती।

कानाफूसी

उत्कृष्टता पर सवाल

मध्य प्रदेश की कांग्रेस शासित सरकार पिछली सरकार द्वारा लिए गए तमाम निर्णयों को पलटती जा रही है। ताजा मामला राज्य सरकार के उत्कृष्टता पुरस्कारों का है जिनकी शुरुआत पिछली भाजपा सरकार ने सन 2008 में की थी। ये पुरस्कार प्रदेश शासन के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अफसरशाहों और संस्थानों को दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है क्योंकि सरकार को लगता है कि कुछ अफसरशाह अभी भी पिछली शिवराज सरकार के प्रति झुकाव रखते हैं और उनकी बनाई सूची का पूर्वग्रह से ग्रस्त होना लाजिमी है। सूत्रों के मुताबिक जब संभावित विजेताओं की सूची मुख्यमंत्री कमल नाथ के सामने पेश की गई तो उन्होंने इसे तत्काल खारिज कर दिया। अब सरकार नए सिरे से चयन प्रक्रिया अपना रही है। माना जा रहा है कि नए विजेता सामने आएंगे।

अतिक्रमण का भय

केवल हम और आप ही ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें निजी परिसंपत्ति पर अतिक्रमण की आशंका सताती रहती है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि खाली पड़ी सरकारी जमीन, बंगलों और फ्लैट आदि को अतिक्रमण से बचाने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी की मदद ली जाए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को निजी सुरक्षा कर्मी तैनात करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें भी पूर्व सैनिकों को तरजीह देने की बात कही गई है। एक वर्ष के लिए एक सुरक्षा एजेंसी की सेवाएं ली जाएंगी और वह खाली पड़ी परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए गार्ड तैनात करेगी। उनके आचरण की जिम्मेदारी भी एजेंसी की होगी।

आपका पक्ष

मंदी की आहट और सरकार के कदम

कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विश्व की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है तो कई उसे सुस्ती की संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी जैसी कोई बात है। सरकार इसे आर्थिक सुस्ती ही मान रही है। सुस्ती से निजात पाने के लिए हर देश अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से उचित कदम उठता है। सुस्ती ने निपटना आसान नहीं है लेकिन यह असंभव भी नहीं है। उपलब्ध संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल से आर्थिक सुस्ती पर काबू पाया जा सकता है। जैसे कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में कमी, सस्ती दरों पर ऋण, प्रभावित उद्योग-धंधों को राहत पैकेज देना आदि शामिल है। आर्थिक सुस्ती से हर संस्था और व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट को आर्थिक मंदी के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। लगातार आर्थिक विकास दर में

आर्थिक मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की थीं

गिरावट होना अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लगातार दो तिमाहियों तक सकल घरेलू उत्पाद में कमी को मंदी की आहट से जोड़कर देखा जाने लगता है। आर्थिक मंदी की वजह से लोगों की खर्च करने की क्षमता में गिरावट आ जाती है। इसके अलावा खपत में कमी आने से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम होने लगता है जिसका असर कंपनियों के कामकाज, बिक्री और मुनाफे पर पड़ता है। सरकार को मंदी से निपटने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

राजीव सिंह, हैदराबाद

जल संरक्षण जरूरत भी कर्तव्य भी

अगर विकसित देशों की तरह भारत को भी विकसित करना है तो हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। इसकी शुरुआत हम जल संरक्षण से कर सकते हैं। घरों में लगा वाटर प्यूरीफायर काफी पानी बरबाद करता है। एक वाटर प्यूरीफायर एक लीटर पानी को शुद्ध करने में चार लीटर पानी बरबाद करता है। हम प्यूरीफायर से निकले पानी को बहा देते हैं जबकि दूसरे कामों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए वाशिंग मशीन में कर सकते हैं। अपनी गाड़ी धोने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पानी को पौधे में भी डाला जा सकता है। उक्त कदम उठाकर हम काफी पानी बरबाद होने से बचा सकते हैं।

रोहित चंद्र भट्ट, गाजियाबाद

जलजमाव बड़ी समस्या बनी

भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे राज्य हैं जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश में कुल चार करोड़ हेक्टेयर फसल बरबाद हो जाती है और 30 करोड़ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। आयोग के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य बिहार है। हाल में पटना में जल जमाव से साफ है कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए मानव बस्तियों को नदी से दूर बसाने की जरूरत है। नदियों पर तटबंध बनाने और नदी की लगातार सफाई करने की भी जरूरत है। नदी के किनारे पेड़ लगाने की जरूरत है जिससे बाढ़ से मिट्टी का कटाव रोका जा सके। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना पर काम करना चाहिए। बारिश से पहले कॉलोनियों की नलियों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए।

शिव द्विवेदी, बक्सर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।